ISO NO.:21-ICA-02AA-1283

प्रगतिवाद बाल विकाश योजना

"हम सब का यह नारा है, निरक्षर को साक्षर बनाना है" ।। दान से अनुदान तक ।।

रजि, सं0-110

रजिस्टर्ड कार्यालय:- पुराना कोर्ट कैम्पस, कासमिरी गेट दिल्ली-110006 प्रधान कार्यालयः- सुपौल, बिहार-852131

E-mail: info@pwbvyindia.org

Website:- www.pwbvyind.org

CSR NO.:- 00027651

NITI AAYOG ID: DL/2020/0251982

PAN NO.- AAETP3469J

दिनांक: 03/04/2023

Section-806

Section 12A

Unique Registration No.:AAETP3469JF20220 Unique Registration No.:AAETP3469JE20214

USIO: PWBVY/322/BR23 सेवा में

प्रखंड विकास पदाधिकारी

युद्धिमातिवाद बाल विकास ट्रस्ट संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकर्मी में

भारत करने के संबंध में।

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है। जिसका पंजीयन संख्या । 10 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय-वार्ड नंबर-04,सुपौल,बिहार-852131में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उधेश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढावा देना है। और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जिसके अंतर्गत विहार राज्य के विभिन्न जिले कें विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से अपने प्रखंड के

चलाये जा रहे कार्यक्रम का ब्योरा निम्नवत है।

विभिन्न पंचायतो के मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

- 1. बाल विवाह रोकथाम जागरूक्ता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्त्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूक्ता शिविर संगोष्ठी और नुक्कइ नाटृक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते है।
- 2. प्रगतिवाद बाल विद्यालय:-प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड मे खोलकर उसके द्वारा उस वार्ड के 3 से 6साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
- 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः -ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं महिलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई ,कटाई,बुनाई पेटिंग,सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनिकी एवं गैर तकनिकी प्रशिक्षण देना।
- 4. ग्रामीण क्षेत्र मै सदस्य जाकर नाशा मुक्त जीवन जीने हेतु जागरुक्ता शिविर नुक्कइ समा और जन सम्पर्क के माध्यम से जागरुक्ता लाने का कार्य कर रही।

- 5. संस्था के उद्येश्यों की प्रासी हेतु सदस्य बनानाः— चूँकी वर्तमान में संस्था को किसी सरकारी /गैर सरकारी आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराई गयी है इसलिए संस्था अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर उपर वर्णित कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है।
- 6. बेटी बचाओ बेठी पढाओ,कन्या भ्रुण हत्या, बाल मजदुरी और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए संस्था विशेष टीम गठित कर त्री स्तरिय व्यवस्था जिला,प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सदस्य नियुक्त कर जागरुकता लाने का कार्य कर रही है।
- 7. ग्रिमीण एवं शहरी क्षेत्र में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए एक शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चों जिनकी आयु 0-14 वर्ष होती है तो उका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निशुल्क है। 21 वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरुप विवाह सामग्री के शादी समारोह में दी जाती है।

8. पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरुकता करना एवं वृक्ष —रोपण को बढावा देना । हरीत कांति के क्षेत्र मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की अवगत करना।

9. रक्त दान जीवन दान के अतर्गत आमलोगों को जागरुक्ता करना और बिहार के विभिन्न जिले में रक्त दान शिविर लगाने ताकि पाकृति आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मैं स्वास्थ्य जन सेवा मैं सहयोग करना ।

10. प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट के अतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मैं वार्ड स्तरीय प्रगतिवाद बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है इस विद्यालय को सुचारु रुप से चलाने हेतु सेविका सहायिका एवं सुपरवाइजर की चयनित संस्था के द्वारा किया जा रहा है।

1 1. भारत सरकार के कार्यकम स्वक्छता अभियान और खुले मैं शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम से जागरुक्ता शिविर नुक्कइ नाटक द्वारा आम जनता को जागरुक करना ।

प्रार्थना है कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगा । PARAS BISHWAS



अध्यक्ष / सचिव प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट सुपौल,बिहार